कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–प्रार / नियु प्रको / नियु–2 / सैटअप / 16 दिनांक : 1/7/16

उपनिदेशक मा. शि. एवं प्रा.शि.
समस्त संभाग
जिला शिक्षा अधिकारी,
मा. शि. एवं प्रा.शि.– समस्त जिले

विषय : काउन्सलिंग हेतु परिवर्धित दिशा–निर्देश।
संदर्भ : राजस्थान सरकार, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांकः प.5(8) / प्राशि / 2015 दिनांक 24 जून 2016 एवं शैक्षणिक कार्मिकों के पदों के मानदण्ड के निर्धारण एवं समानीकरण हेतु आदेश क्रमांक प. 5(8) / प्राशि / 2016 दिनांक 21.04.2016

1. उपर्युक्त विषय संदर्भ अन्तर्गत लेख है कि 3बी के शिक्षकों एवं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अधिशेष शिक्षकों की कॉमन वरिष्ठता सूची के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है –
   - माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रदत्त 3बी की सूची के समस्त शिक्षकों को वरिष्ठता सूची एवं काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल किया जाना है, भले ही 3बी के शिक्षकों ने बीईईओ कार्यालय में ज्वाईनिंग नहीं दी है।
   - 3बी की सूची के शिक्षकों एवं प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, दोनों के अधिशेष शिक्षकों की विषय एवं संवर्गवार कॉमन वरिष्ठता सूची बनायी जाकर काउंसलिंग की जानी है।
   - जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक से 3बी की अद्यतन सूची आज ही तत्काल प्राप्त कर लें।
   - कॉमन वरिष्ठता सूची के शिक्षकों में से कोई भी शिक्षक यदि निर्धारित तिथि को अनुपस्थित रहता है एवं काउंसलिंग प्रक्रिया में अन्तिम अवसर (13.7.2016 को) भी अनुपस्थित रहता है तो निर्देशानुसार प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा दोनों के शिक्षकों के लिये रिक्त स्थान पर पदस्थापन आदेश जारी किये जाने है।
2. यद्यपि जिला द्वारा ब्लॉक से पातेय वेतन शिक्षकों की सूची प्राप्त कर राज्य स्तर से केन्द्रीयकृत व्यवस्था (सॉफ्टवेयर) से समस्त पातेय वेतन शिक्षकों को वर्तमान विद्यालय में ही संस्था प्रधान के पद एवं विषय के विरूद्ध समायोजित किया जा रहा है। इसके बाबजूद भी यदि डाटा मैच नही होने के (तकनीकी) कारण से ऐसे शिक्षक अधिशेष की सूची में आते है और वे संस्थापन दस्तावेजों के आधार पर पातेय वेतन पर कार्यरत है तो उन्हें अधिशेष नहीं मानते हुये काउंसलिंग नहीं की जानी है।
3. आवश्यकतानुसार अन्य दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन आपको आज दोपहर तक प्रसारित किये जावेंगे। अतः वाट्सएपग्रुप एवं ईमेल के संपर्क में रहें तथा सरकारी आदेशानुसार प्रदत्त टाइम लाइन का शतप्रतिशत पालन किया जाना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की अनुशासहीनता एवं लापरवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे एवं कठोर कार्यवाही की जावेगी।

(जगदीश चन्द्र पुरोहित)
निदेशक
प्रार. शिक्षा राज. बीकानेर

(बी.एल. स्वर्णकार)
निदेशक
माध्य. शिक्षा राज. बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–प्रार / नियु प्रको / नियु–2 / सैटअप / 16 दिनांक : 1/7/16
प्रतिलिपि सूचनार्थ :–
1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
3. अति. आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
4. समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक
5. रक्षित पत्रावली।

निदेशक

निदेशक